तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अ... जो इस हुक्म की ता... में जारी हुवे
26.06.18	अपीलान्ट अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) धौलपुर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई। प्राप्त टिप्पणी दिनांक 30.01.2018 में लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि अपीलान्ट का कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ ना ही अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की जिससे यह सिद्ध होता कि अपीलान्ट का आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को इस आशय का पत्र लिखा गया कि यदि उनके पास ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध हो जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसका आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हो चुका है, तो न्यायालय में पेश करें। अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 10.05.2018 प्राप्त हो चुका है जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि " आपकी सूचना मुझे 22.05.2018 को दोपहर 12 बजे मिल रही है तब ऐसी स्थिति में वह इस तिथि को कैसे आ सकते हैं। भविष्य में पर्याप्त समय देकर सूचना देने का कष्ट करें "। अपीलान्ट की उक्त रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट है कि उसको न्यायालय द्वारा जारी पत्र प्राप्त हो गया है। तथा पत्र में अपीलान्ट को यही लिखा गया है कि यदि उसके पास ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध हो जिससे यह सिद्ध होता हो कि आपका आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है तो वह साक्ष्य न्यायालय में दिनांक 22.05.2018 से पूर्व पेश करें। यह सही है कि अपीलान्ट को पत्र की प्रति दिनांक 22.05.2018 को ही प्राप्त हुई है तो वह उक्त दिनांक को न्यायालय में नही आ सकते थे किन्तु अपीलान्ट को मात्र साक्ष्य पेश करनी थी जो न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत की जा सकती थी। किन्तु अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधि0 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया हो। ऐसी स्थिति में इस अपील को आगे विचाराधीन रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। (नन्नूमल पहाडिया) जिला कलक्टर धौलपुर	